

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग

क्रमांक: प.6(21)प्र.सु./अनु.3/2019

जयपुर, दिनांक: 04-06-2019

आदेश

सचिव महोदय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 16.10.2018 के क्रम में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना संबंधी मूल्यांकन करने, बेसलाईन आंकड़े एकत्रित करने के, ग्राम विकास योजना तैयार करने एवं योजना का कार्यान्वयन एवं निगरानी करने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से ग्राम सरपंच की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के दिशा-निर्देश अक्टूबर, 2018 के बिन्दु संख्या 16 के अनुबंध IX (ग) के अनुसार ग्राम पीएमएजीवाई अभिसरण समिति का गठन एतद द्वारा निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.स.	समिति में शामिल सदस्य	पद
1	ग्राम का सरपंच	अध्यक्ष
2	ग्राम पंचायत के सभी एससी सदस्य वार्ड पंच	सदस्य
3	एडव्यूडव्यू, आशा, एएनएम, इत्यादि	सदस्य
4	पंचायती राज तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी	सदस्य
5	एनआरईजीए के विलेज फील्ड वर्कर	सदस्य
6	विद्यालय का एक अध्यापक	सदस्य
7	अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि	सदस्य
8	ग्राम विकास अधिकारी	सदस्य
9	राज्य स्तरीय तकनीकी संसाधन सहायता संस्था का एक प्रतिनिधि - विशेष आमंत्रित व्यक्ति, जब आवश्यक हो।	सदस्य
10	ग्राम पंचायत के एससी सदस्यों वार्ड पंचों में से एक सदस्य	सदस्य सचिव

ग्राम पीएमएजीवाई अभिसरण समिति प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित जिले के चिन्हित ग्राम के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करने, बेसलाईन आंकड़े एकत्रित करने, ग्राम विकास योजना तैयार करने एवं योजना का कार्यान्वयन एवं निगरानी करने के लिए उत्तरदायी होगी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के दिशा-निर्देशों में दिये गये प्रपत्र I to VIII के अनुसार करेगी। प्रत्येक माह में एक बार बैठक का आयोजन करेगी। समिति का कार्य काल स्थायी होगा। उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

आज्ञा से

(डॉ० प्रेम सिंह चारण)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: प.6(21)प्र.सु./अनु.3/2019

जयपुर, दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति. मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।

3. निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामिण विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, संबंधित अति. मुख्य सचिव,.....विभाग राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, संबंधित प्रमुख शासन सचिव,.....विभाग राजस्थान जयपुर।
8. निजी सचिव, संबंधित शासन सचिव,.....विभाग राजस्थान जयपुर।
9. निजी सचिव, आयुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
10. जिला कलक्टर, डुंगरपुर एवं प्रतापगढ़ को छोड़कर समस्त राजस्थान।
11. मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, डुंगरपुर एवं प्रतापगढ़ को छोड़कर समस्त राजस्थान।
12. समस्त विभागाध्यक्ष।
13. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर को प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
14. अति निदेशक, एससीएसपी, मुख्यालय।
15. अति. निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन) मुख्यालय।
16. संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, समस्त।
17. संबंधित ग्राम का सरपंच।
18. ग्राम पंचायत के सभी एससी सदस्य।
19. एडब्ल्यूडब्ल्यू, आशा, एएनएम, इत्यादि।
20. पंचायती राज तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी।
21. एनआईईजीए के विलेज फील्ड वर्कर।
22. विद्यालय का एक अध्यापक।
23. अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि।
24. ग्राम विकास अधिकारी।
25. राज्य स्तरीय तकनीकी संसाधन सहायता संस्था का एक प्रतिनिधि।
26. ग्राम पंचायत के एससी सदस्यों में से एक सदस्य।
27. रक्षित पत्रावली। संदर्भ सं.८११(एससीएसपी/पीएमएजीवाई/सान्याअवि/२०१९/९४३३.

(Handwritten Signature)
५/६/१९

(के.के. खण्डेलवाल)

सहायक शासन सचिव